


भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स एवं दूरभाष : 0761-2643182

ई-मेल / e-mail: zone.central.soi@gov.in



अपर महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE ADDL. S.G.

मध्य क्षेत्र Central Zone

सर्वे कालोनी, विजय नगर,

Survey Colony, Vijay Nagar,

जबलपुर – 482002 (मोप्र)

Jabalpur - 482002 (MP)

सं. / No. 587 / 37-जी-9(म.क्षे.)

दिनांक / Date: 07-08-2018

मध्य क्षेत्र, नेमी आदेश संख्या— 06 / 37-जी-9 दिनांक 07.08.2018

प्रशासन को मजबूत बनाना — 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारियों के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार :-

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने मध्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है :-

क्र.सं.	नाम सर्वश्री	पदनाम	कार्यालय	अभियुक्तियाँ
01	इनाम आमिल	निदेशक	छत्तीसगढ़ जी.डी.सी.	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
02	जी० वरुण कुमार	निदेशक	मध्य प्रदेश जी.डी.सी.	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

[प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-4067 / 854-आर (गजटेड-निदेशक) दिनांक 01.08.2018]

Naveen Tomy
 (नवीन तोमर) ७८११८
 अपर महासर्वेक्षक
 वि.क्षे., मु.क्षे., पू.क्षे., उ.पू.क्षे. एवं म.क्षे.

वितरण :-

- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
- अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिलांग/उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ/दक्षिण-मध्य क्षेत्र, हैदराबाद/दक्षिणी क्षेत्र, बैंगलोर/विशिष्ट सेवायें क्षेत्र, देहरादून/भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद।
- निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी., पुणे/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी., रायपुर/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन निदेशालय, हैदराबाद/राष्ट्रीय जी.डी.सी., देहरादून/व्यवसाय एवं प्रचार निदेशालय, देहरादून/डी.एस.एस.डी.आई., दिल्ली/राजस्थान जी.डी.सी., जयपुर/पंजाब एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी., चंडीगढ़/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चंडीगढ़/हरियाणा जी.डी.सी., चंडीगढ़/जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी., जम्मू/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता/झारखण्ड जी.डी.सी., रॉची/उड़ीसा जी.डी.सी., भुवनेश्वर/उत्तराखण्ड जी.डी.सी., देहरादून/मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी., शिलांग/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी/त्रिपुरा व मणिपुर जी.डी.सी., सिलचर/गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी./उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., लखनऊ/बिहार जी.डी.सी., पटना/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी., हैदराबाद/कर्नाटक जी.डी.सी., बंगलौर/तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी., चैन्नई/केरल व लक्ष्मीपुरम जी.डी.सी., तिरुअनंतपूरम/सर्वेक्षण (हवाई) व दिल्ली जी.डी.सी., नई दिल्ली/उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद/पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता/पश्चिमी मुद्रण वर्ग, दिल्ली।
- निदेशक, मध्य प्रदेश जी.डी.सी. को सूचनार्थ प्रेषित।
- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, कोलकाता।
- स्थापना एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ)।